गंगाबावड़ी योजना में प्रभावित होने वाली वनभूमि के बदले में वनमंडलाधिकारी नीमच को हस्तांतरित करवाई गई संपूर्ण गैर वनभूमि राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम से अमल–दरामद करवाकर खसरा नकल एवं नक्शा तरमीम शुदा की सत्यापित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। साथ ही उक्त संपूर्ण गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन अधिसूचित करने के संबंध में वांछित मूल प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।